राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28( )पराविं/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./अध्ययन स्वीकृति/2015/328 जयपुर,दिनांक: 19-02-20

—: आ दे श :—

निम्नलिखित पंचायत प्रसार अधिकारियों को स्वयंपाठी के रूप में उनके नाम के आगे अंकित अध्ययन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 एवं कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के परिपत्र पं.9(5)(30)कार्मिक/ क–3/जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 अनुरूप नीचे वर्णित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं:–

क्र. सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	पदस्थापित स्थान	अध्ययन जिसके लिए अनुमति चाही है	वर्ष
1.	श्री हीरालाल भील	पं.स. पीपलखूंट (प्रतापगढ)	स्नातक प्रथम वर्ष	2019–20
2.	श्री नानुराम मीणा	जि.प. प्रतापगढ	स्नातक प्रथम वर्ष	2019–20
3.	श्री तुलसीराम मीणा	जि.प. प्रतापगढ	स्नातक प्रथम वर्ष	2019–20

1. इनका पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. इनको इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है इनकों परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से इनको किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और इनका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से ये दैनिक राजकार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
7. अध्ययन वर्ष में इनकी उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

D:\SSR\Ext.Officers\2018\Order Ext_officer 2018.doc

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ़।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपलखूंट (प्रतापगढ़)।
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

:\SSR\Ext.Officers\2018\Order Ext_officer 2018.doc

Scanned by CamScanner